ELC हस्तक्षेप के बाद, प्रशासनिक कानूनी कार्यालय के सभी मामलों में भाषांतरण के लिए, NJ दुभाषिया प्रदान करेगा।
पक्षों को अब उनके खुद के दुभाषिया को साथ लाने की आवश्यकता नहीं पडेगी।
अगस्त ६, २०२४
न्यू जर्सी के प्रशासनिक कानूनी कार्यालय (OAL) ने उनकी वेबसाइटपर इसकी सूचना जारी की है कि, अब से कानूनी मामलों की सुनवाई में पक्षों को उनके खुद के दुभाषिया लाने के राज्य विनियमन को लागू नहीं किया जाएगा। शिक्षा कानून केंद्रने, लिखित रुप में सूचना जारी की, यह जताते हुए कि OAL के पक्षकारों को कानूनी तौरपर यह अधिकार है कि वे दुभाषिया सेवा विनाशुल्क पाएँ, उसके बाद में महान्यायवादी (अटर्नी जनरल) के कार्यालय और ELC के बीच, तथा लोवेनस्टेन सैन्डलर लौ फर्म की ओर से निस्वार्थ सहायता के तौरपर, काफी बार बैठक हुई, उसकी प्रतिक्रिया के रुप में विनाशुल्क दुभाषिया सेवा प्रदान की जाने की सूचना जारी की गई। OAL ने दुभाषिया सेवाएँ प्राप्त करने की जानकारी को उनकी वेबसाइटपर भी प्रदर्शित करना मान्य कर लिया।
राज्य संस्था के विवादास्पद मामलों में, OAL "तथ्य खोजकर्ता" के रुप में काम करता है, इस भूमिका को, न्यू जर्सी के विचारण न्यायालय की तुलना में निभाता है। OAL की कार्यवाही गंभीर मुद्दों को संबोधित करती है, जैसे कि, एक क्षात्र के निष्कासन मामले में सार्वजनिक शिक्षा का संवैधानिक अधिकार, या फिर, सार्वजनिक पात्रता लाभ में पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम (SNAP) की बिनती।
एलिझाबेथ एथौस, ELC की वरिष्ठ वकील, जिन्होंने इस मुद्देपर महान्यायवादी (अटर्नी जनरल) के कार्यालय में हुई बैठकों में भाग लिया, कहती है, "OAL की कार्यवाही प्रभावी रुप से हो और अधिकारों की रक्षा की जाए, इसलिए इन मामलों के प्रस्तुत किए गए साक्ष्य और तर्क, पक्षों, साक्ष्यों और न्यायाधीशों की समझ में, पूर्ण रुप से आना चाहिए"।
संघीय विकलांग व्यक्ति शिक्षा अधिनियम (IDEA) के लागाए हुए दायित्वों के कारण, OAL में विशेष शिक्षा कर्यवाही के दौरान, न्यू जर्सी शिक्षा विभाग (NJDOE) नें बहोत पहले से ही दुभाषिया सेवा प्रदान करना शुरु किया है। तथापि, एक क्षात्र निष्कासन मामले में स्पैनिश भाषा के लिए दुभाषिया की माँग के बाद, ELC को पता चला कि विद्यालय कानून के ऐसे तथाकथित विवादास्पद और विवादों के मामलों में ना तो NJDOE और ना ही OAL किसी प्रकार की दुभाषिया सेवा प्रदान करते है। इनमें, सामान्य शिक्षा मामलों में, विद्यालयीन अनुशासन; विद्यालयीन निवास; परेशानी, डराना और धमकाना; द्विभाषिक शिक्षा; और कोई भी अन्य गैर शिक्षा विशेष मामले जो न्यू जर्सी पब्लिक स्कूल के क्षात्रों को प्रभावित करते है, सम्मिलित है।
ELC की लिखित सूचना ने, OAL में शिक्षा मामलों में, साथ ही में संघीय तथा राज्य नागरिक अधिकार कानून के तहत चलनेवाले मामलों में, राज्य कानून आधारपर, "पक्षों को विनाशुल्क" भाषांतरण प्रदान करने का दायित्व, राज्य को सौंपा है। ELC यह भी तर्क किया कि, कानूनी कार्यवाही की सत्यनिष्ठा को पर्याप्त रुप से सुरक्षित रखने के लिए कानूनी कार्यवाही में भाषांतरण सेवा प्रदान करना, यह एक व्यावहारिक आवश्यकता है।
महान्यायवादी (अटर्नी जनरल) के कार्यालय ने इस मुद्दे के महत्व को तुरंत सराहा और ELC की चिंताओं को संबोधित किया, खासकर ऐसे राज्य, जहांपर बहुसंखीय ऐसे नागरिक और निवासी है जिनकी मूल भाषा अंग्रेजी नहीं है। काफी बैठके हुई जिनमें ELC वकीलों ने निस्वार्थ रुप से काम करनेवाली लोवेनस्टेन सैन्डलर लौ फर्म के वकीलों के साथ सहयोग कर, राज्य ने स्वखुशी से निम्न राहते प्रदान करना मान लिया:

CERTIFIED
LANGUEX
ATA Member ID: 217219
Ohio Entity #3996025
TRANSLATION

- OAL में चलनेवाले शिक्षा मामलों या अन्य मामलों की कार्यवाही के दौरान अंग्रेजी अभाषिकों के लिए भाषांतरण सेवाएँ प्रदान की जाएगी;
- भाषांतरण उपलब्धता सेवा की सूचना OAL वेबसाइटपर सात भाषाओं में प्रदर्शित की जाएगी;
- OAL वेबसाइटपर जो सूचना प्रदर्शित की जाएगी उसमें, जिन पक्षों को खुद के भाषांतरण के दुभाषिया की आवश्यकता होगी, उनपर खुद के दुभाषिया लाने की आवश्यकता के नियम को लागू नहीं किया जाएगा; और
- आखिरकार धीरे-धीरे मौजुदा OAL भाषांतरण नियमन को त्याग दिया जाएगा।

मौजुदा नियामन के त्याग के साथ ही, अधिक व्यापक नियामन के साथ हाल ही में अधिनियमित भाषा पहूँच अधिनियम (N.J.S.A. 52:14-40 et seq.) को अगले वर्ष तक राज्यद्वारा अपनाया जाएगा। राज्य सरकारी इकाइयाँ के लिए यह कानूनी तौरपर आवश्यक है, जो जनता को महत्वपूर्ण दस्तावेजों और जानकारी को न्यूनतम, राज्य में अत्यन्त साधारण तौरपर प्रयोग की जानेवाली सात गैर अंग्रेजी भाषाओं में अनुवाद करने की, व्यक्तियों को दुभाषिया सेवा, जैसी सीधी सेवा प्रदान करते है, और भाषा पहूँच की योजना प्रकाशित करते है।

पीटर स्लोकम, लोवेनस्टेन सैन्डलर के भागीदार ने कहा, "महान्यायवादी (अटर्नी जनरल) के कार्यालय की सहायता के हम आभारी है, जब हमने इस मुद्दे की तरफ उनका ध्यान खींचा, उन्होंने, अनुचित अधिनियम को संबोधित करने में हमारा सहयोग किया।"

श्री. स्लोकमने श्रीमती एथोस, ELC मुकदमा निदेशक जेसिका लेविन और ELC कानूनी अध्येता मेरेडिथ किलबर्न के साथ मिलकर काम किया। ELC इस मुद्देपर नजर रखे रहेगी और यदि शिक्षा मामलों में सहभागी तथा शिक्षा समर्थकों को OAL में दुभाषिया सेवाओं को प्राप्त करने में कोई परेशानी होती है तो ELC को इसकी जानकारी देने के लिए, निमंत्रित करेगी।

OAL में दुभाषिया की बिनती करने के लिए काल करें (609) 438-6316 ।

शिक्षा मामले में यदि दुभाषिया प्राप्त करने में कोई समस्या हो तो, ELC से (973) 624-1815, ext. 300 इस क्रमांकपर संपर्क करें।

CERTIFIED
LANGUEX
ATA Member ID: 217219
Ohio Entity #3996025
TRANSLATION